Harmful effects of chemical Treatment of Fruits

6410. SHRI K.R. MALKANI: Will the PRIME MINISTER be pleased to State:

(a) whether it is fact that bananas, mangoes and some other fruits are being fast-ripened through chemical treatment;

(b) if so, what chemica' is applied and to which fruit;

(c) whether there has been any scientific study of the harmful nature of such treatment;

(d) if so, what are the findings thereof; and

(e) if not, whether Government would consider a time-bound study of the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVERA): (a) to (e) As per information provided by Indian Council of Medical Research, Carbide gas which is generally used for ripening of fruits like bananas, mangoes and some other fruits is usually generated from Calcium Carbide. During this process, gases like Hydrogen Sulphide and Phosphine are probably produced in small amounts. These gases are known to produce gastro-entestinal side effects like nausea, vomiting as well as headache. There is, however, little information regarding the residual amounts of these gases in the fruit at the time of consumption.

To stop the malpractices, the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955 already prohibits use of Carbide Gas in ripening of fruits.

डाक्टरों को रियायतें

6411. श्री मूलचन्द मीणा:
श्री अजीत जोगी:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए विशेष रियायत दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में रियायतें समाप्त कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन रियायतों के पुनः प्रावधान के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) केन्द्र सरकार ने देश के आदिवासी उपयोजना और ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डाक्टरों को स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु विशेष रियायत देने संबंधी कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

हानिकारक औषधियों से नशा-मुक्ति

6412. श्री सतीश प्रधान: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं कि स्मैक-रोधी औषधियों को मरीज सीधे बाजार से न खरीद सकें;

(ख) क्या मरीज इस स्मैक-रोधी औषधियों के नियमित सेवन से इनके आदी हो जाते हैं;

(ग) क्या एक ही सिरिंज का बार-बार उपयोग करने से वे एड्स जैसी भयंकर बीमारियों के शिकार हो रहे हैं;

(घ) सरकार "एड्स" के ऐसे रोगियों की संख्या बढ़ने से रोकने के लिए क्या उपाय कर रही है; और

(ङ) उपर्युक्त औषधियों को बिना नुस्खे (प्रिस्क्रिप्शन) के बेचने वाले व्यक्तियों के लाइसेंस रद्द करने के लिए सरकार क्या कार्रवाई करने पर विचार कर रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्यमंत्री (डा० सी० सिल्वेरा): (क) औषध दुर्व्यसन वाले व्यक्तियों के उपचार में इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं/इंजैक्शन औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके अधीन बने नियम की अनुसूची "ज" के

अंतर्गत नुस्खे में लिखी जाने वाली औषधे हैं और इसे उपचार कर रहे डाक्टर के विधिमान्य नुस्खे पर ही उपलब्ध कराया जा सकता है।

(ख) विषाक्तता को समाप्त करने के लिए निर्धारित दवाओं का सेवन करने से रोगी उनके आदी हो सकते हैं यदि ये उपयुक्त चिकित्सा पर्यवेक्षण एवं परिचर्या के अधीन न दी जाएं।

(ग) जी, हां। संदूषित और/या निर्जीवीकृत सिरिंजों और सूइयों का इस्तेमाल करना कुछ क्षेत्रों में एड्स को अधिक घटना होने का मुख्य सहकारक है।

(घ) चूंकि एच०आई०वी० एक अनुत्क्रमणीय संक्रमण है इसलिए इसका केवल निवारण किया जा सकता है। इसलिए निवारक कार्यनीति से रक्त निरापदता। यौन संचारित रोगों का नियंत्रण करना और सूचना तथा जागरूकता पैदा करना शामिल है जिससे खतरे का आचरण प्रभावित हो सके क्योंकि इससे संक्रमण हो सकता है और यह और आगे फैल सकता है।

(ङ) नुस्खे को बगैर कैमिस्टों द्वारा अनुसूची "ज" की औषधे बेचे जाने पर राज्य औषध नियंत्रक को अधिकार प्राप्त है कि वे औषध और प्रसाधन सामग्री अधिनियम और नियम के प्रावधानों के अंतर्गत उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करें।

Heart Transplanation in AIIMS

6413. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) when was the first heart transplantation done in the AIIMS, New Delhi; and

(b) whether there is any risk to the life or health of a living person who donates one of his kidneys for tmasplantation?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVER A): (a) The first heart transplantation was done on 3rd August, 1994 in AIIMS.

(b) Subject to availability of proper facilities for such operations, risk to the life or health of a living donor is minimal.

Patients in AIIMS waiting for Transplanation

6414. SHRI RAMDAS AGARWAL: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) how many and stage renal failure patiants are in the list of All MS, New Delhi waiting for the transplantation of Cardaveric kidneys as on date;

(b) what is the percentage of success of the kidney transplantations that took place at AIIMS till 30th April, 1995; and

(c) whether qualified surgeons as laid down in rule 9(B) of the rules made under the transplantation of Human Organs Act, 1994 are available for the transplantation of liver, heart and other abdominal organs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (DR. C. SILVER A): (a) About 20 patients are in the waiting list for Cadaveric renal transplantation.

(b) Overall percentage of survival rate of kidney transplantation (Live related donor and Cadaver transplantation) is:

1 year more than 93%
2 year more than 85%
5 year more than 65%

(c) Yes, Sir.

Anomaly in the Delayed Payment Act

6415. SHRI G. SWAMINATHAN: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that representations have been received from the Trade Bodies especially from the Tamil Nadu Small and Tiny Industries Association during December, 1994 to remove the anomaly in the Delayed Payment Act to ensure prompt payment of bills to SSIs with reference to the deadline of the payment;